

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अप्रैल, 2003

संख्या का० आ० 54/ह० अ० 6/2003/धा० 24/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 24 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें रामर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से राज्य में अनाज प्राप्त कर रही प्रत्येक सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण या नियम, ऐसे अनाज के लिए समय-समय पर नियत न्यूनतम समर्थन कीसत (योनस सहित या उसके बिना), कमीशन एजेंट को, अनाज के विक्रय के लिए मूल्यवाल प्रतिफल के रूप में, चाहे नकदी में, समायोजन, खाते में जमा, देयों की वसूली द्वारा या किसी अन्य रीति में भुगतान करते समय, किसी रीति में भुगतान की गई राशि के चार प्रतिशत की दर पर अग्रिम में, ऐसे भुगतान से कर कटौती करेगा।

च-द्र सिंह,
वित्तायुक्त एवं प्रशान्त सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th April, 2003

No. S. O. 54/H. A. 6/2003/S. 24/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette every Government agency, public sector undertaking or corporation procuring food grains in the State at the minimum support price (with or without bonus) fixed from time to time for such grains, shall at the time of making payment, whether by cash, adjustment, credit to the account, recovery of dues or in any other manner to a commission agent as valuable consideration for selling the grains, deduct tax in advance for such payment calculated at the rate of four percent of the amount paid in any manner.

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.